

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)

प्रकरण संख्या - 484/2024

अनवान : -

1. रविन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. धर्मला देवी पत्नी सोनीराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील।
2. धर्मपाल पुत्र अर्जन जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सतवीर पुत्र धर्मला देवी जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
4. सुरेन्द्र पुत्र धर्मला देवी जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
5. बृजी देवी पुत्री धर्मला देवी जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

- प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88-89, राजस्थान काश्त0
अधि0 1955

उपस्थिति :- श्री रविन्द्र कुमार गोदारा अधिवक्ता वादी
श्री सुनील कटारिया अधिवक्ता प्रतिवादीगण

निर्णय

दिनांक: 21/6/2024

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि रोही मौजा मालीया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 158/159 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.4900 है0 भूमि में से 3/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है।

प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भतीजे के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो कि प्रतिवादीया संख्या 1 के पुत्र पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी के पक्ष में त्याग कर चुके है प्रतिवादी संख्या 2 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी अकेला काबिज है वादी जिसकी न्यायालय से घोषणा करवाकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा पाने का अधिकारी है। यही विनाय दावा है।

वादी ने प्रतिवादी स0 1 को कई दफा कहा कि वादी के हक व हिस्सा की भूमि को उनके नाम राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी का वाद डिक्री किया जाकर घोषणा की जावें की वादी के हक हिस्सा की भूमि है जिसे अपने बाहमी बंटवारे के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा अधिकारी है। वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

OL

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं० 1 ता 5 ने जरिये अधिवक्ता वादी के वाद को स्वीकार करते हुए इकबाल दावा पेश किया जाकर निवेदन किया की वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 5 को कोई ऐतराज नहीं है। प्रतिवादी संख्या 6 परोकार राज ने जवाब पेश किया जो की शामिल मिसल किया गया। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी साक्ष्य नवीनतम जमाबंदी आदि दस्तावेज पेश किये जो की शामिल मिसल किये गये।

प्रकरण में प्रतिवादीगण का इकबाल प्रस्तुत होने के कारण तनकी की आवश्यकता नहीं रही साक्ष्य में वादी के द्वारा शपथ पत्र पेश किया गया जिस पर प्रतिवादीगण के द्वारा जिरह नहीं करने के कारण जिरह शुन्य रही तत्पश्चात उभयपक्षों की बहस सुनी गई।

बहस वकील उभयपक्षकारान सुनी गई। दौराने बहस वकील वादी ने कथन किया कि वाद भूमि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी संख्या 1 के नाम दर्ज है। प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह परिवार के मौजिज व्यक्तियों के सामने अपने भतीजे के पक्ष में परित्याग कर चुकी है इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो कि प्रतिवादीया संख्या 1 के पुत्र पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा अपना जो भी हक हिस्सा है वह वादी के पक्ष में त्याग कर चुके है प्रतिवादी संख्या 2 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 का उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी अकेला काबिज ह प्रतिवादीगण द्वारा वादी के वाद को स्वीकार किया जाकर ईकबाल पेश किया जा चुका है अर्थात वादी के वाद के संबंध में कोई ऐतराज नहीं है। अतः वादी का वाद डिक्री फरमाया जावें।

परोकार राज ने निवेदन किया की वादी ने दादालाई/पैतृक सम्पति का वाद पेश किया है वादी के साक्ष्य सबूतों के आधार पर राज्यहकों को सुरक्षित रखते हुए वाद का निस्तारण फरमावें।

हमारे द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के अनुसार रोही मौजा मालीया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 158/159 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.4900 है० भूमि में से 3/7 हिस्सा भूमि प्रतिवादीया संख्या 1 के नाम दर्ज राजस्व रिकार्ड है, वादी का कथन है कि प्रतिवादीया संख्या 1 जो कि वादी की बुआ है व प्रतिवादी संख्या 2 की बहिन है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहती तथा इस प्रकार प्रतिवादीया संख्या 3 ता 5 जो कि प्रतिवादीया संख्या 1 के पुत्र पुत्री है उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहते है तथा प्रतिवादी संख्या 2 भी उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा नहीं लेना चाहता है इस प्रकार से प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ने अपना समस्त हक हिस्सा वादी के पक्ष में परित्याग कर दिया है इनका उपरोक्त भूमि में कोई हक हिस्सा शेष नहीं बचा है बाद हक त्याग उपरोक्त भूमि में वादी अकेला काबिज है वादी के उक्त कथनो को प्रतिवादीगण द्वारा स्वीकार करते हुए

ईकबाल पेश किया गया है कि वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तो प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 को कोई एतराज नहीं है। अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों एवं प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण मुताबिक अनुतोष स्वीकार योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालीया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 158/159 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.4900 है0 भूमि में से 3/7 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रु का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावें। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफतर हो।

निर्णय आज दिनांक 21/06/24 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

al
(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ
पीठासीन अधिकारी का नाम : पंकज गढ़वाल (आर0ए0एस0)
प्रकरण संख्या - 484/2024

अनवान : -

1. रविन्द्र कुमार पुत्र धर्मपाल जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।

- वादी

बनाम्

1. धर्मला देवी पत्नी सोनीराम जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील।
2. धर्मपाल पुत्र अर्जन जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
3. सतवीर पुत्र धर्मला देवी जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
4. सुरेन्द्र पुत्र धर्मला देवी जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।
5. बृजी देवी पुत्री धर्मला देवी जाति जाट निवासी राजपुरिया तहसील नोहर।


- प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

राजस्व वाद संख्या 484 सन 2024 निर्णय दिनांक - 21/06/2024

आज यह वाद मुझ पंकज गढ़वाल उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादी श्री रविन्द्र गोदारा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबूतों तथा प्रतिवादीगण की सहमति के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी मुताबिक अनुतोष डिक्री किया जाता है तथा घोषणा की जाती है कि रोही मौजा मालीया तहसील नोहर के जमाबन्दी सम्वत 2072-2075 के खाता संख्या 158/159 के कुल खसरे 2 की कुल तादादी 5.4900 है0 भूमि में से 3/7 हिस्सा भूमि में प्रतिवादीया संख्या 1 का नाम कलमजन किया जाकर वादी को खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन करते हुए इजराय प्रार्थना पत्र के संलग्न 500/- रू का स्टाम्प तकमीलन शामिल किया जावे। यदि कृषि भूमि बैंक रहन है तो रहन मुक्त होने के बाद तथा किसी सक्षम न्यायालय आदि का स्थगन आदेश न हो तो उपरोक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद कर रिकार्ड दुरुस्त करे। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक 21/06/24 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।


(पंकज गढ़वाल R.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर